



Memo No. .... 786 ..... RIMS, Ranchi/ Dated.... 05/3/24.....

कार्यालय आदेश

दिनांक 25.04.2024 को सम्पन्न रिम्स, राँची के कार्यकारिणी समिति के 34वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को कार्यालय के पूर्ण अवकाश को रद्द करते हुए एम्स नई दिल्ली के तर्ज पर कार्यालय प्रतिदिन प्रातः 09:00 AM से 05:00 PM तक एवं प्रत्येक शनिवार को सभी कार्यालय एवं वाह्य विभाग (OPD) अपराह्न 02:00 PM तक खुला रहेगा। सभी Emergency Service यथावत् क्रियाशील एवं खुली रहेगी तथा पूर्व की भाँती इनका 24 X 7 संचालन जारी रहेगा। संस्थान के सभी चिकित्सीय भण्डार शनिवार को भी अपराह्न 05:00 PM तक खुले रहेंगे। शनिवार को छोड़कर शेष प्रतिदिन कार्य दिवस में अपराह्न 01:00 से 02:00 बजे तक भोजनावकाश (Lunch Break) रहेगा। प्रत्येक शनिवार को कार्य दिवस में भोजनावकाश नहीं रहेगा। शनिवार के लिए संस्थान के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (Half Day CL) का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इस आदेश का अनुपालन श्रद्धा से किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद् रिम्स, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची

ज्ञापांक..... 786 ..... रा0आ0सं0, राँची, दिनांक..... 05/3/24.....  
प्रतिलिपि :- सुचना पट/अपर निदेशक (प्रशासन)/डीन/प्राचार्य, दंत चिकित्सा संस्थान/डीन (छात्र कल्याण)/सभी विभाग के विभागाध्यक्ष/सभी विभाग के ईकाई प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा उपाधीक्षक/चिकित्सा पदाधिकारी (भण्डार)/प्रशासनिक पदाधिकारी/ सचिव, पुस्तकालय समिति/विधि पदाधिकारी/संपदा पदाधिकारी/निगरानी पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ लेखापदाधिकारी /आहारविद्/सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट /प्रभारी, रक्त अधिकोष विभाग/सभी विभाग के निबंधक/प्रभारी, एम0आर0डी0 विभाग/प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज/प्राचार्य, नर्सिंग स्कूल/मातृका/अधीक्षक, छात्र-छात्रवास/अधीक्षिका, छात्रा-छात्रवास/सभी सहायक अधीक्षक, छात्र-छात्रवास एवं छात्रा-छात्रवास /निदेशक कोषांग/कार्यालय अधीक्षक, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक..... 786 ..... रा0आ0सं0, राँची, दिनांक..... 05/3/24.....  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आदेश माननीय मंत्री के संज्ञान में लाने की कृपा की जाय।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।